(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II खण्ड–3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

विदेश व्यापार महानिदेशालय

अधिसूचना सं0 36 / 2015–2020

नई दिल्ली, दिनांक 02 फरवरी, 2016

विषयः आईटीसी (एचएस), 2012, अनुसूची–1 (आयात नीति) के अध्याय–87 के नीति शर्त सं0 9 में संशोधन।

सा0 आ0 (अ0) समय–समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैराग्राफ 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस), 2012, अनुसूची–1 (आयात नीति) के अध्याय–87 की नीति शर्त सं0 9 में निम्नानुसार संशोधन करते हैं :–

1. 800 सीसी या अधिक इंजन क्षमता वाली नई मोटरसाइकिलों का आयात, सभी श्रेणियों के आयातकों द्वारा जिसमें शामिल हैः (क) व्यक्ति, (ख) कंपनियों और फर्मों, अथवा (ग) ओईएम (मौलिक उपकरण विनिर्माता–जिनका भारत में विनिर्माण और सर्विस नेटवर्क है) उपर्युक्त क्रम सं0 2(**II**) (ग) पर शर्तों से छूट प्राप्त होंगे। तथापि ईयू के किसी सदस्य देश की एक प्रमाणन एजेंसी से, सीमाशुल्क निकासी के समय, एक ईसी टाइप एप्रूवल प्रमाणपत्र/सीओपी प्रमाणपत्र, जिसके साथ नोटराइज्ड अंग्रेजी अनुवाद हो, प्रस्तुत होगा। यह टाइप एप्रूवल निर्धारित करेगा कि आयात किए जाने वाला वाहन यूरापीय संसद और परिषद के ईयू निदेश 168/2013/ईयू की तकनीकी अपेक्षा को पूरा करता है। ऐसी आयातित मोटरसाइकिलें, आयोग प्रत्यायोजित विनियमन (ईयू) सं0 134/2014 के अनुसार जाँच प्रक्रिया के साथ उपर्युक्त विनियमन में यथा विनिर्दिष्ट यूरो **IV** उत्सर्जन मानदण्ड को पूरा करेगी।

साथ ही सभी आयातित मोटरसाइकिलें जो ईयू निदेश 2003/77/ईसी में यथा परिभाषित यूरो **III** उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करती हैं, को उपर्युक्त क्रम सं0 2(II) (ग) पर दिनांक 31 मार्च 2017 तक शर्तों से छूट प्रदान करना जारी रहेगा। तथापि सीमाशुल्क निकासी के समय ईयू के किसी सदस्य देश की एक प्रमाणन एजेंसी से, एक ईसी टाइप एप्रुवल प्रमाणपत्र/सीओपी प्रमाणपत्र, जिसके साथ नोटराइज्ड अंग्रेजी अनुवाद हो, प्रस्तुत करना होगा। यह टाइप एप्रुवल निर्धारित करेगा कि आयात किए जाने वाला वाहन सभी से संबंधित अलग–अलग निदेशों जैसा कि आखिरी संशोधन में है और ईयू निदेश 2002/24/ईसी में यथा सूचीबद्ध है, की तकनीकी अपेक्षा को पूरा करता है।

2. **इस अधिसूचना का प्रभावः** यूरो **III** और यूरो **IV** समर्थित मोटरसाइकिलों का आयात दिनांक 31.03.2017 तक करने की अनुमति होगी और उसके बाद, केवल यूरो **IV** समर्थित मोटरसाइकिलों का आयात अनुमत होगा।

(अनूप वधावन)

महानिदेशक, विदेश व्यापार

ईमेलः dgft@nic.in

(फा0सं0 01/93/180/1483/एएम 03/पीसी–2(ए)/खण्ड–III से जारी)